

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
झालावाड़।

विषय:- श्री रामदेव महावर एवं श्रीमती फरजाना, लैब टेक्नीशियन के 9 वर्षीय
एसीपी स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 231 दिनांक 10.04.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा उक्त कर्मचारी के 9 वर्षीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्रपत्र भिजवाया है के सम्बन्ध में लेख है कि कर्मिक का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानानुसार पुनः निर्धारित चैक लिस्ट तैयार कर एसीआर प्रमाण पत्र के साथ निदेशालय को भिजवावें, ताकि उक्त कार्मिक के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(डॉ०बी.एल.सैनी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (एफ-1142)/2018/464

दिनांक : 01/08/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुनेल (झालावाड़)
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्गपुरा (खण्ड झालरापाटन) झालावाड़।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें।
4. श्री रामदेव महावर/श्रीमती फरजाना, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर